

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3224

दिनांक 16.03.2021/25 फाल्गुन, 1942 (शक) को उत्तर के लिए

जाति आधारित जनगणना

†3224. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री संतोष कुमार:

श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2021-22 में होने वाली जनगणना के दौरान जाति आधारित जनगणना कराने की सरकार की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानन्द राय)

(क) से (ग): आगामी जनगणना की प्रश्नावलियां विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श करके तैयार की गई हैं। जनगणना में, उन जातियों एवं जनजातियों की जनगणना की जाती है, जो संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के रूप में विशेष रूप से अधिसूचित हैं। भारत संघ ने स्वतंत्रता के पश्चात, एक नीतिगत मामले के रूप में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अतिरिक्त जाति-वार जनसंख्या की गणना न करने का निर्णय लिया है।
